

विविध पत्रावली 2024/004

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
अनुरीत कौर व अन्य बनाम अनमोल सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 2024/006

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
06.02.2024	वादीगण अधिवक्ता श्री अरविन्द जाखड़ द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलवी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 04 मार्च, 2024 को पेश हो. <i>Ship</i>	
08/03/24	प्रतिवादी 1, 2, 3/5 ने अहकाम की नोटिस को आज बार सघ न कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...15/03/24 को पेश हो।	<i>Maked 15/3/24</i>
15/03/24	आज बार सघ न कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...22/03/24 को पेश हो।	
27/3/24	आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/4/24 को पेश हो।	
16-4-24	आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-4-24 को पेश हो।	
26.04.24	अधिवक्तागण उपस्थित। वादिमा एपिडीप कोर द्वारा स्वयं उपस्थित आकर आदेशिका पर हमारा राजीनामा हो चुका है पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते की दिखती अंकित करते हुए हस्ताक्षर अंकित किये। वादिमा की पहचान वादिमा के अधिवक्ता की अवि-प जाखड़ भाय की गई। पुकि	हमारा राजीनामा हो चुका है अब हम पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं करते एपिडीप कोर Gdenticial by अवि-प

वादीया प्रकरण में आगे कोई कापिवाही
नहीं चाहते हैं अग फुं स. 2024/006
पुं 53,88,188 एन, अनवान अनुरीत
कौर व अल वनाम अनमोल सिंह व अक
वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है
फावली नस्लीक हो फावली 6प्यर पेजिका
के कम से कम की जाकर निर्णय की
सूची में शामिल हो

जीतू कुलदरी
R.A.S

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यालयक देण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर